कार्यालय जिला खनिज संस्थान न्यास, राजनांदगांव (छ.ग.)

विज्ञापन

क्रमांक / 170 / डी.एम.एफ. / 2017 राजनांदगांव, दिनांक 11/8/2017

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 7–34 / 2016 / XII दिनांक 11.07.2017 अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, 2015 के नियम 26 के उपनियम (4) के तहत् राजनांदगांव जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु स्वीकृत पदो के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक ....28. / 08 / 2017 को सायं 5.30 बजे तक निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है:–

क्रं	पद का नाम एवं आरक्षण	रिक्त पद संख्या	एकमुश्त मासिक वेतन	शैक्षिणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंको का निर्धारण	
1	2	3	4	5	6	
1	विकास सहायक अना.(मुक्त)–01	1	75000.00	1.) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा समतुल्य ग्रेड के साथ उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रबंधन (Management) में स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा । 2.) Prime Minister's Rural Development Fellows Scheme (PMRDF) में Fellow के रूप में कार्य करने अथवा किसी समान पद पर 02 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य	समूह चर्चा एवं साक्षात्कार के आधार पर	100 अंक
2	सहायक ग्रेड–3 अजजा. (मुक्त)– 01 अना.(मुक्त)–01	2	12675.00	1.) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण। 2.) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण–पत्र अनिवार्य।	1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 100 अंको का Weightage देते हुए 2. प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि / डिप्लोमा में 100 अंको का Weightage देते हुए 3. शासकीय कार्यो में समान पद / वेतनमान पर कार्य अनुभव– A न्यूनतम 01 से 02 वर्ष का अनुभव B 05 वर्ष तक अनुभव C 05 वर्ष से अधिक अनुभव	40 अंक 45 अंक 05 अंक 10 अंक 15 अंक
3	भृत्य अना.(मुक्त)–01	1	10140.00	मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण	मेरिट के आधार पर	

नियम एवं शर्तें–

1. छ.ग.शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
2. संविदा नियुक्ति शासन द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 में निहित शर्तो के अनुसार की जावेगी।
3. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिये होगी। शासन के आदेशानुसार एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आंकलन कर संविदा नियुक्ति अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
4. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश एवं शासन द्वारा समय–समय पर चयन के संबंध में दिशा–निर्देश एवं मापदंडों का पालन किया जायेगा।
5. परिस्थिति वश एवं आवश्यकता अनुसार विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा विज्ञप्ति पूर्ण भाग / आंशिक भाग निरस्त की जा सकती हैं।
6. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना देते हुए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
7. सेवा समाप्ति के बाद कर्मियों को किसी भी प्रकार की पेंशन भत्ता या अन्य राशि प्रदान नहीं की जावेगी।
8. क्रमांक 02 एवं 03 के अभ्यर्थी को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. जन्मतिथि प्रमाणित हेतु हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।

10. संविदा नियुक्ति हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष परन्तु आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश लागू होंगे।

11. अजा./अ.ज.जा./पिछड़ा वर्ग की पुष्टि में आवेदक को प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार/ अनुविभीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

12. किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कदाचरण के आरोप में हटाये गये, ब्लैक लिस्टेड अथवा कार्य सक्षमता पूर्वक नहीं करने के कारण सेवा वृद्धि नहीं किये गये व्यक्ति/अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं होंगे।

13. अनुभव हेतु अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की छायाप्रति के साथ–साथ नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र तथा वर्तमान में कार्यरत होने की स्थिति में नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

14. प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

आवेदन करने हेतु अनुदेश :–

1. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव (छ.ग.)** के कार्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से दिनांक 28/08/2017 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित समय सीमा पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो चिपकाना अनिवार्य है।
3. पद कमांक 02 एवं 03 के अभ्यर्थी का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
5. संविदा नियुक्ति, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन एफ–9–1/2012/1–3 रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी।
6. अपूर्ण एवं अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
7. लिफाफे के ऊपर पद नाम.........................एवं आरक्षण का प्रवर्ग स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र के साथ 5/– रूपये की टिकट लगा हुआ दो लिफाफा जिसमें आवेदक के पत्र व्यवहार का पूर्ण पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
9. आवेदन, संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही जमा किया जावे। आवेदन के साथ समस्त प्रमाण पत्र/अंकसूची स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
10. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो उच्चत्तर योग्यता के आधार पर बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
11. आवेदन पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञापन जिला कार्यालय (खनि शाखा) में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती हैं जिला पंचायत, राजनांदगांव की वेबसाईट www.zprajnandgaon.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
शासी परिषद, जिला खनिज न्यास,
राजनांदगांव(छ.ग.)